रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13112026-277900
SG-DL-E-13112026-277900

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2026/कार्तिक 22, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 287
No. 341]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2026/KARTIKA 22, 1948	[N. C. T. D. No. 287

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2026

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(ख)(ii) के साथ पठित आधार प्रमाणीकरण सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अनुसार अधिसूचना।

फा. सं. A-27/12/2024-Development-IT Deptt./10035.—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श करने के बाद अपने दिनांक 09 मई 2025 के पत्र संख्या 13(4)/2020–ईजी–II (खंड–9) के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (तत्पश्चात् उक्त विभाग के रूप में संदर्भित) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार (तत्पश्चात् उक्त विभाग के रूप में संदर्भित) के लिए आधार प्रमाणीकरण सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020

(तत्पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों के लिए अनुमति प्रदान की थी, कि उक्त विभाग को आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग करने की अनुमति दी जाए तथा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (तत्पश्चात् अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की उप–धारा (4) के खंड (ख) के उप–खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत इसे अधिसूचित किया जाए।

और जबकि, आधार प्रमाणीकरण निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ किया जाएगाः –

(क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग;

(ख) निवासियों के जीवन को सुगम बनाना और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करना;

(ग) समाज कल्याण लाभों के अपव्यय की रोकथाम; और

(घ) नवाचार को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना।

(तत्पश्चात् उक्त उद्देश्य के रूप में संदर्भित) उक्त नियमावली के नियम 3 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है तथा उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त विभाग आधार प्रमाणीकरण केवल एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफ़ॉर्म (यूसीडीपी) के लिए ही करेगा, आधार प्रमाणीकरण के लिए (तत्पश्चात् उपयोग मामला (मामलों) के रूप में संदर्भित)।

अब इसलिए, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त विभाग एतद् द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्:–

1. (1)उक्त विभाग, अधिनियम में यथा उपबंधित के अनुसार इसमें प्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमावली के नियम 3 के उप–नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, उक्त विभाग आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की सूचना देगा तथा आधार प्रमाणीकरण कराने से इनकार करने या असमर्थ होने के कारण आधार संख्या धारक को कोई भी सेवा देने से मना नहीं करेगा, अर्थात्: –

(क) मतदाता पहचान पत्र

(ख) ड्राइविंग लाइसेंस

(ग) पासपोर्ट

(घ) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य फोटो पहचान पत्र।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम से,

संजय कुमार, सचिव

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th November, 2026

Notification pursuant to Rule 5 of The Aadhaar authentication for good Governance (Social Welfare, Innovation, knowledge) Rules, 2020 read with section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

F. No. A-27/12/2024-Development-IT Deptt./10035.—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. e F. No. 13(4)/2020-EG-II(Vol-9), dated 9th May 2025 to the Information Technology Department, GNCTD (hereinafter referred to as the said department), Government of National Capital of Delhi (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for the purpose mentioned below: -

(a) usage of digital platforms to ensure good governance;

(b) promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them;

(c) prevention of dissipation of social welfare benefits; and

(d) enablement of innovation and the spread of knowledge.

(hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Department shall perform the Aadhaar authentication only for Unified Citizen Data Platform (UCDP) for Aadhaar authentication [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Department hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The said Department, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the said Department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely :

(a) Voter ID

(b) Driving License

(c) Passport

(d) Any other photo ID issued by the Central or State Government

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.13 22:29:15 +05'30'